

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि०न० - 185/23

अनवान : -



1. राजेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. पीरुराम पुत्र अणदा जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र अणदा जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. रणजीतसिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
4. रणवीर पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
5. समेशता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
6. रोशनी पत्नी स्व० रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
7. एसबीआई एडीबी छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी तहसील भादरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं खाता विभाजन अन्तर्गत
धारा 88, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
सुरेन्द्र कुमार मील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 01.01.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 202/194 के मु०न० 78 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु०न० 96 के किला न० 2 ता 9, किला न० 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल किता 24 की 5.060 है बारानी मय रास्ता एवं चक 6 जे.एस.एल के खाता संख्या 146/190 के मु०न० 26 के किला न० 11, 20, 21/1, 21/2 मु०न० 27 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 35 के किला न० 4, 5/1, 5/2, मु०न० 36 के किला न० 1 कुल किता 26 की 4.807 है नहरी, बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादी के पिता स्व० रामकुमार, प्रतिवादी सं० 1 पीरुराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 सतवीर प्रत्येक के 1/6 - 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 रणजीतसिंह प्रतिवादी संख्या 4 रणवीर प्रत्येक के नाम से 1/4 - 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये हैं। वादी ने अपने हिस्से की खातेदारी में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल भी लगा रखा है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 7 व 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 202/194 के मु०न० 78 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु०न० 96 के किला नं० 2 ता 9, किला नं० 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल किता 24 की 5.060 है बरानी मय रास्ता एवं चक 6 जे.एस.एल के खाता संख्या 146/190 के मु०न० 26 के किला नं० 11, 20, 21/1, 21/2 मु०न० 27 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 35 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, मु०न० 36 के किला नं० 1 कुल किता 26 की 4.807 है नहरी, बरानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में वादी ने अपने हकों की घोषणा एवं खाता विभाजन के लिए वाद दायर किया है। उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामकुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान के रूप में वादी तथा प्रतिवादी सं० 5-6 कायम मौजूद है। अतः अपने पिता के नाम दर्ज वाद भूमि में वादी तथा प्रातिवादी सं० 5-6 अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद-वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 202/194 के मु०न० 78 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु०न० 96 के किला नं० 2 ता 9, किला नं० 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल किता 24 की 5.060 है बरानी मय रास्ता की वाद भूमि में वादी के पिता रामकुमार प्रतिवादी सं० 3 रणजीतसिंह प्रतिवादी सं० 4 रणवीर का नाम कलमजन कर वादी राजेश कुमार प्रतिवादी सं० 5 समेस्ता प्रतिवादी सं० 6 रोशनी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 1 पीरुराम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 सतवीर 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार तथा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 146/190 के मु०न० 26 के किला नं० 11, 20, 21/1, 21/2 मु०न० 27 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 35 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, मु०न० 36 के किला नं० 1 कुल

किता 26 की 4.807 है नहरी, बारानी मय रास्ता की खातेदारी में वादी के पिता रामकुमार तथा प्रतिवादी सं० 1 पीरूराम व प्रतिवादी सं० 2 सतवीर का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं० 3 रणजीतसिंह तथा प्रतिवादी सं० 4 रणवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किये जाते हैं :-


वादी राजेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 5 समेशता, प्रतिवादी संख्या 6 रोशनी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रति० संख्या 1 पीरूराम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 सतवीर 1/3 हिस्सा - रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 202/194 के मु०न० 78 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु०न० 96 के किला न० 2 ता 9, किला न० 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल किता 24 की 5.060 है बारानी मय रास्ता ।

प्रतिवादी संख्या 3 रणजीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 रणवीर बहिस्सा बराबर- रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 146/190 के मु०न० 26 के किला न० 11, 20, 21/1, 21/2 मु०न० 27 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 35 के किला न० 4, 5/1, 5/2, मु०न० 36 के किला न० 1 कुल किता 26 की 4.807 है नहरी, बारानी मय रास्ता ।

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...०१/०१/२५... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.

मि०न० - 185/2023

अनवान : -



1. राजेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. पीरुराम पुत्र अणदा जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र अणदा जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. रणजीतसिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
4. रणवीर पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
5. समेशता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
6. रोशनी पत्नी स्व० रामकुमार जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
7. एसबीआई एडीबी छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी तहसील भादरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुशीराम व वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 202/194 के मु०न० 78 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु०न० 96 के किला नं० 2 ता 9, किला नं० 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल कित्ता 24 की 5.060 है बारानी मय रास्ता की वाद भूमि में वादी के पिता रामकुमार प्रतिवादी सं० 3 रणजीतसिंह प्रतिवादी सं० 4 रणवीर का नाम कलमजन कर वादी राजेश कुमार प्रतिवादी सं० 5 समेशता प्रतिवादी सं० 6 रोशनी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 1 पीरुराम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 सतवीर 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार तथा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 146/190 के मु०न० 26 के किला नं० 11, 20, 21/1, 21/2 मु०न० 27 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 35 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, मु०न० 36 के किला नं० 1 कुल कित्ता 26 की 4.807 है नहरी, बारानी मय रास्ता की खातेदारी में वादी के पिता रामकुमार तथा प्रतिवादी सं० 1 पीरुराम व प्रतिवादी सं० 2 सतवीर का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं० 3 रणजीतसिंह तथा प्रतिवादी सं० 4 रणवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किये जाते हैं


वादी राजेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 5 समेशता, प्रतिवादी संख्या 6 रोशनी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रति संख्या 1 पीरुराम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 सतवीर 1/3 हिस्सा - रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 202/194 के मु0न0 78 के किला न0 16 ता 19, 22 ता 25, मु0न0 96 के किला नं0 2 ता 9, किला नं0 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 कुल किता 24 की 5.060 है वारानी मय रास्ता ।

प्रतिवादी संख्या 3 रणजीतसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 रणवीर बहिस्सा बराबर- रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 146/190 के मु0न0 26 के किला नं0 11, 20, 21/1, 21/2 मु0न0 27 के किला नं0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु0नं0 35 के किला नं0 4, 5/1, 5/2, मु0न0 36 के किला नं0 1 कुल किता 26 की 4.807 है नहरी, वारानी मय रास्ता ।

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अनुसार खाता विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे और यदि किसी खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़